

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र05(2)बजट आवंटन(स्था0 एवं प्रति0 व्यय)-02/2026

11 (बजट)

खाद्य, पटना/दिनांक 17/06/26

प्रेषक,

विभूति रंजन चौधरी

निदेशक-सह-विशेष सचिव।

सेवा में,

निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बिहार, पटना।

अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग-पटना, शेखपुरा, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण (छपरा), समस्तीपुर, कटिहार, भागलपुर, सिवान, खगड़िया, दरभंगा, गोपालगंज, बक्सर, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा एवं सहरसा।

निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना।

विषय:- मांग सं0-18 के मुख्य शीर्ष-3456 सिविल पूर्ति, उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-001 निदेशन तथा प्रशासन, उपशीर्ष-0003 जिला प्रभार (उपभोक्ता संरक्षण) विपत्र कोड 18-3456000010003 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु कुल 1,86,31,800/- (एक करोड़ छियासी लाख एकतीस हजार आठ सौ) रुपये मात्र का आवंटन एवं व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग के पत्रांक-2561/वि0 दिनांक- 17.04.1998, पत्रांक-236/वि0 दिनांक-09.03.2026 एवं पत्रांक-314/वि0 दिनांक-01.04.2026 में निहित निदेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु विषयांकित शीर्ष के अन्तर्गत संलग्न तालिका 'क' एवं 'ख' के अनुसार मदवार कुल 1,86,31,800/- (एक करोड़ छियासी लाख एकतीस हजार आठ सौ) रुपये मात्र कॉलम 5 के अनुसार आवंटित किये जाते हैं :-

तालिका

क्र0	विस्तृत शीर्ष	विषय शीर्ष	बजट उपबंध	आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1	01-वेतन	01 वेतन	11,64,50,000	76,05,300
		02 विशेष वेतन	32,18,000	1,34,000
		03 जीवन धापन भत्ता	8,47,16,000	60,84,000
		04 मकान किराया भत्ता	1,71,06,000	16,48,000
		05 परिवहन भत्ता	57,93,000	1,53,000
		06 चिकित्सा भत्ता	19,56,000	1,58,000
		07 अन्य भत्ता	30,49,000	5,000
	योग-18-3456.00.001.0003.01-वेतन		23,22,88,000	1,57,87,300
2	06 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	8,50,000	00
	योग-18-3456.00.001.0003.06-चिकित्सा प्रतिपूर्ति		8,50,000	00
3	11 यात्रा व्यय	01 यात्रा व्यय	40,00,000	25,000
	योग-18-3456.00.001.0003.11-यात्रा व्यय		40,00,000	25,000
4	13 कार्यालय व्यय	01 कार्यालय व्यय	37,00,000	48,500
		02 वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव	12,00,000	00
		03 दूरभाष	20,00,000	00
		04 विद्युत प्रभार	30,00,000	50,000
		05 विधि प्रभार	6,00,000	50,000
		06 वर्दी/पोशाक		00
		07 विद्युत प्रभार डी0पी0एस0	5,00,000	20,000
		10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान	10,00,000	1,25,000
	योग-18-3456.00.001.0003.13-कार्यालयी व्यय		1,20,00,000	2,93,500

05	14 किराया दरें और कर	01 किराया महसूल एवं कर	1,23,00,000	00
	योग-18-3456.00.001.0003.14-किराया दरें और कर		1,23,00,000	00
06	20 अन्य प्रशासनिक व्यय	02 कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार	25,000	00
		03 प्रशिक्षण व्यय	10,00,000	00
	योग-18-3456.00.001.0003.20-अन्य प्रशासनिक व्यय		10,25,000	00
07	21 सामग्री और आपूर्ति	01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	41,000	00
	योग-18-3456.00.001.0003.21-सामग्री और आपूर्ति		41,000	00
08	26 विज्ञापन और प्रकाशन	01 विज्ञापन और प्रकाशन	65,00,000	00
	योग-18-3456.00.001.0003.26-विज्ञापन और प्रकाशन		65,00,000	00
09	28-व्यावसायिक सेवाये	02 सविदा सेवाये	4,75,00,000	25,26,000
	योग-18-3456.00.001.0003.28 व्यावसायिक सेवाये		4,75,00,000	25,26,000
10	51 मोटर वाहन	01 मोटरगाडी कार्यालय	1,000	00
	योग-18-3456.00.001.0003.51-मोटर वाहन		1,000	00
11	52 मशीनें एवं उपस्कर	02 मशीनें एवं उपस्कर-अन्य	1,000	00
	योग-18-3456.00.001.0003.52-मशीनें एवं उपस्कर		1,000	00
	कुल योग-18-3456.00.001.0003-जिला प्रभार (उपभोक्ता संरक्षण)		31,65,06,000	1,86,31,800

2. कुल 1,86,31,800/- (एक करोड़ छियासी लाख एकतीस हजार आठ सौ) रुपये मात्र का आवंटन इस आवंटनादेश से निर्गत किया जा रहा है जिसकी विवरणी 'क' में निम्नवत् है :-

: क :

क्र०	जिला कार्यालय का नाम	वेतन	विशेष वेतन	जीवन यापन भत्ता	मकान किराया भत्ता	परिवहन भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अन्य भत्ता	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग, शेखपुरा	1000	1000	500000	1000	00	1000	00	504000
2	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग, जहानाबाद	500000	00	300000	150000	00	50000	00	1000000
3	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग, मुजफ्फरपुर	660000	1000	384000	360000	10000	30000	00	1445000
4	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग, वैशाली	180000	1000	235000	300000	00	4000	00	720000
5	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग, सारण(छपरा)	988300	50000	800000	100000	50000	1000	00	1989300
6	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग, समस्तीपुर	1000	1000	500000	1000	1000	1000	00	505000
7	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग, कटिहार	1525000	10000	965000	36000	15000	10000	5000	2566000
8	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग, भागलपुर	2050000	10000	900000	150000	1000	10000	00	3121000
9	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग, सिवान	400000	10000	200000	100000	00	50000	00	760000
10	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग, नालंदा	600000	00	900000	100000	1000	1000	00	1602000
11	उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना	700000	50000	400000	350000	75000	00	00	1575000
	कुल योग:-	7605300	134000	6084000	1648000	153000	158000	5000	15787300

: ख :

क्र०	जिला कार्यालय का नाम	यात्रा व्यय	विधि प्रभार	कार्यालय व्यय	विद्युत प्रभार	विद्युत प्रभार DPS	दूरभाष	भाडे की गाडी का भुगतान	सविदा सेवाएँ	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण, बिहार, पटना	00	00	00	00	00	00	00	500000	500000
2	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग, पटना	00	50000	00	00	00	00	00	325000	375000
3	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग, वैशाली	00	00	00	00	00	00	00	130000	130000
4	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग, खगड़िया	00	00	00	00	00	00	00	110000	110000
5	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग, सारण (छपरा)	00	00	00	00	00	00	00	130000	130000
6	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग, सिवान	00	00	00	00	00	00	00	150000	150000
7	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग, दरभंगा	00	00	00	00	00	00	00	115000	115000
8	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग, गोपालगंज	00	00	00	00	00	00	00	150000	150000
9	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग, बक्सर	00	00	00	00	00	00	00	130000	130000
10	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग, मुजफ्फरपुर	00	00	00	00	00	00	00	300000	300000
11	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग, कटिहार	00	00	00	00	00	00	00	130000	130000
12	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग, जहानाबाद	00	00	00	30000	20000	00	00	130000	180000
13	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग, नवादा	25000	00	00	00	00	00	00	00	25000
14	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग, बेगूसराय	00	00	35000	00	00	00	00	00	35000
15	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग, लखीसराय	00	00	13500	00	00	00	00	00	13500
16	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग, सहरसा	00	00	00	20000	00	00	00	156000	176000
17	उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना	00	00	00	00	00	00	125000	70000	195000
	कुल योग:-	25000	50000	48500	50000	20000	00	125000	2526000	2844500

3. राशि की निकासी अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बिहार पटना/निदेशक उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन पटना से तथा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्षों द्वारा एवं उनकी अनुपस्थिति में जिला पदाधिकारी द्वारा संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी।
4. राशि की निकासी पूर्णतः वित्तीय नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों में निहित निदेश के आलोक में की जायेगी। गलत एवं अधिक निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
5. संविदा पर नियोजित कर्मियों का मानदेय व्यावसायिक सेवाएँ अन्तर्गत संविदा सेवाएँ मद से देय होगी। बेल्ट्रॉन के माध्यम से संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों के मानदेय की राशि इस आवंटन में सम्मिलित है।
6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह की 10वीं तिथि तक इकाईवार व्यय प्रतिवेदन निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायेंगे।
7. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में होने वाले पूर्ण व्यय का आकलन करते हुए दिये जा रहे आवंटन के अतिरिक्त यदि और राशि की आवश्यकता हो तो पूर्ण औचित्य के साथ इकाईवार विस्तृत विवरणी सहित राशि की अधियाचना उपलब्ध करायी जाय।
8. गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपलब्ध कराये गये आवंटन, व्यय एवं अवशेष से संबंधित विवरणी निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाय।
9. इस आवंटन में सदस्यों के मानदेय की राशि भी सम्मिलित है।
10. इस आवंटन से स्वीकृत बल के आलोक में कार्यरत कर्मचारियों/पदाधिकारियों को ही नियमतः भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

निदेशक-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांक-प्र05(2)बजट आवंटन(स्था0 एवं प्रति0 व्यय)-02/2026 11 (बजट) खाद्य, पटना/दिनांक 17/06/2026
प्रतिलिपि:-महालेखाकार बिहार, दीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांक-प्र05(2)बजट आवंटन(स्था0 एवं प्रति0 व्यय)-02/2026 11 (बजट) खाद्य, पटना/दिनांक 17/06/2026
प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांक-प्र05(2)बजट आवंटन(स्था0 एवं प्रति0 व्यय)-02/2026 11 (बजट) खाद्य, पटना/दिनांक 17/06/2026
प्रतिलिपि:-वित्त विभाग, (बजट शाखा) बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी 05/सचिव कोषागार, आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता एवं संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक-सह-विशेष सचिव।